**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2088**

**बक्सर-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाया जाना**

2088. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बक्सर-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में किए जाने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई में कोई बाधा आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इसे किस तरह से सुलझाने का प्रयास कर रही है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क) से (ड.):** बक्‍सर-पटना परियोजना (लंबाई 112 किमी) को 4 लेन का बनाने के लिए दिनांक 02.02.2012 को रियायत करार पर हस्‍ताक्षर किए गए थे तथा रियायतग्राही द्वारा दिनांक 07.01.2013 को वित्‍तीय व्‍यवस्‍था की गई थी । तथापि, भूमि की उपलब्‍धता के संबंध में रियायतग्राही की अस्‍वीकृति तथा भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाने वाली अन्‍य पूर्ववर्ती शर्तों के कारणनियत तिथि निर्धारित न किए जाने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है । भूमि अधिग्रहण में विलंब हुआ । राज्‍य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि स्‍वामियों को मुआवजा दिए जाने में अभी तक केवल 8.25% उपलब्‍धि हुई है । बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए 25 किमी लंबाई में परियोजना राजमार्ग के संरेखण में परिवर्तन किए जाने हेतु जनता और वीआईपी संदर्भों से अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुए थे जिनके लिए मामले की जांच की जा रही है । इसके अलावा परियोजना खंड की 44 किमी लंबाई में स्‍टेज-।। वन स्‍वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है । रियायतग्राही को ऋणमुक्‍त भूमि उपलब्‍ध कराए जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा किए जाने हेतु भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्‍य सरकार और वन विभाग के साथ अनेक बैठकें आयोजित करता रहा है ।

\*\*\*\*